संख्या– 40 /xxxvi(I)एक/08–234/2001

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 फरवरी, 2008

विषय– मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 443/xxxvi(I)/2007–234/2001 दिनांक 1 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश संख्या– 19–एक(2) न्याय विभाग/2003 दिनांक 1 अगस्त, 2003 द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद एवं शासनादेश संख्या– 98– एक (2)/छत्तीस(1)/2005–234/2001 दिनांक 15–12–2005 एवं शासनादेश संख्या – 98–एक (2) / xxx vi(I)/2005-234/2001 दिनांक 16–12–2005 द्वारा सृजित/संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं प्रोटोकाल अधिकारी के एक–एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1–3–2008 से 28–2–2009 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–04के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–102–उच्च न्यायालय–03–उच्च न्यायालय–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 1331/xxvii(5)/2008 दिनांक 4–2–2008 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव

संख्या– 40 (1)/xxxvi(I)एक/08–234/2001तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव